

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 मई 2018—वैशाख 19, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 मई 2018

क्र. 7949-136-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, २०१६

विषय—सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
२. परिभाषाएं
३. बटाई
४. बटाई के अनुबंध का निष्पादन
५. भूमिस्वामी के अधिकार का संरक्षण
६. बटाईदार के अधिकार का संरक्षण
७. प्राकृतिक आपदा में सहायता की अधिकारिता
८. अंतरण या मृत्यु की दशा में न्यागमन
९. विवादों का निपटारा
१०. अनुबंध का भंग
११. भूमिस्वामी का पुनःस्थापन
१२. आपसी सहमति से अनुबंध की समाप्ति
१३. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
१४. राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता
१५. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण
१६. नियम बनाने की शक्ति
१७. कठिनाईयों का दूर किया जाना

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, २०१६

[दिनांक ३० अप्रैल, २०१८ को राष्ट्रीय महोदय की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ९ मई, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

कृषि भूमि बटाई से देने पर भूमिस्वामी एवं बटाईदार कृषकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने तथा भूमि संसाधन का अधिकतम, प्रभावी एवं लाभप्रद उपयोग करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, २०१६ है. संक्षिप्त नाम. विस्तार तथा प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो— परिभाषाएं.

(क) 'अनुबंध' से अभिप्रेत है, भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य भूमिस्वामी की भूमि पर बटाई से कृषि एवं अन्य आनुषंगिक कार्य करने के प्रयोजन से विहित प्ररूप-क में यथासाध्य निष्पादित अनुबंध:

परन्तु यह अनुबंध पट्टा या अन्य किसी लिखत के रूप में ग्राह्य नहीं होगा;

(ख) 'बटाई' से अभिप्रेत है, भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध के अनुसार धन या फसल का हिस्सा भूमिस्वामी को देकर कृषि करना;

(ग) 'बटाईदार' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध के अनुसार धन या फसल का अंश भूमिस्वामी को देकर कृषि करने वाला व्यक्ति;

(घ) 'भूमिस्वामी' से अभिप्रेत है, संहिता की धारा १५८ में वर्णित भूमिस्वामी;

(ङ) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९);

(च) 'सुधार' से अभिप्रेत है, संहिता की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ज) में वर्णित सुधार और इसमें भूमिस्वामी तथा बटाईदार की आपसी सहमति से, जो कि उनके मध्य निष्पादित अनुबंध में उल्लेखित हैं, किए गए कार्य भी सम्मिलित होंगे;

(छ) 'कृषि के आनुषंगिक कार्य' से अभिप्रेत है, कृषि के साथ किए जाने वाले कार्य जैसे पशुपालन, कृषि यंत्रों, खाद, बीज तथा कृषि उपज के भंडारण हेतु संरचना निर्माण जो भूमिस्वामी एवं बटाईदार विहित प्ररूप-क में निष्पादित अनुबंध में विनिश्चित करें.

(२) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में दिए गए हैं.

३. (१) भूमिस्वामी प्ररूप-क में अनुबंध निष्पादित कर कृषि भूमि बटाई पर दे सकेगा. बटाई.

(२) संहिता की धारा १६५ की उपधारा (६) के खण्ड (एक) के अधीन घोषित आदिम जनजाति का भूमिस्वामी उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में स्थित अपनी कृषि भूमि केवल अधिसूचित क्षेत्र के आदिम जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर दे सकेगा.

(३) संहिता की धारा १६५ की उपधारा (६) के खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, आदिम जनजाति का भूमिस्वामी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी आदिम जनजाति का न हो, कलेक्टर की ऐसी अनुज्ञा से, जो कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, अपनी कृषि भूमि को बटाई पर दे सकेगा।

बटाई के अनुबंध का निष्पादन.

४. (१) भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य अनुबंध प्ररूप-क में सादे कागज पर तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा.

(२) अनुबंध की एक-एक प्रति उभय पक्षकारों द्वारा अपने पास रखी जाएगी और एक प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत की जा सकेगी:

परन्तु ऐसे अनुबंध के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कोई प्रविष्टि नहीं की जावेगी.

(३) अनुबंध की अवधि अधिकतम ५ वर्ष हो सकेगी तथा पक्षकार अनुबंध का नवीनीकरण कर सकेंगे.

(४) एक वर्ष से अधिक के बटाई अनुबंध के मामलों में आगामी वर्षों के लिए प्रतिफल बढ़ते क्रम में तय किया जा सकेगा और उसके विवरण आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लिखित किए जाएंगे.

(५) अनुबंध में अभिलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए बटाईदार को कृषि कार्य, सुधार एवं कृषि के आनुषंगिक कार्य करने का अधिकार होगा.

भूमिस्वामी के अधिकार का संरक्षण.

५. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, बटाईदार के अनुबंध में वर्णित अधिकारों के अतिरिक्त अनुबंधाधीन भूमि पर किसी भी प्रकार का भार सृजित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा.

(२) अनुबंध की विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति या अनुबंध भंग होने पर भूमि, भूमिस्वामी को स्वतः प्रतिवर्तित हो जाएगी और बटाईदार भूमि से बेदखल समझा जावेगा तथा भूमिस्वामी का भूमि पर कब्जा हो गया समझा जाएगा. इस हेतु पृथक् से किसी कार्रवाई या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी.

बटाईदार के अधिकार का संरक्षण.

६. (१) अनुबंध अवधि में भूमि स्वामी, बटाईदार द्वारा अनुबंध के अनुसार किए जा रहे कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा.

(२) भूमिस्वामी द्वारा अनुबंध की शर्तों का अपालन किए जाने पर बटाईदार को इस अधिनियम के अनुसार साम्यपूर्ण कार्यवाही का अधिकार होगा.

प्राकृतिक आपदा में सहायता की अधिकारिता.

७. प्राकृतिक आपदा या अन्यथा फसल की हानि की स्थिति में देय सहायता प्राप्त करने का तथा बीमा कम्पनी से प्राप्त होने वाला दावे की राशि प्राप्त करने का अधिकार, भूमिस्वामी और बटाईदार के मध्य निष्पादित अनुबंध के अनुसार होगा.

अंतरण या मृत्यु की दशा में न्यागमन.

८. (१) बटाईदार को अनुबंध के आधार पर प्राप्त अधिकार अंतरणीय नहीं होगा.

(२) बटाई अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंधाधीन भूमि का स्वत्व अंतरित होने की स्थिति में भूमि का स्वत्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुबंध में भूमिस्वामी के रूप में प्रतिस्थापित समझा जाएगा और वह अनुबंध का पालन करने के लिये बाध्य होगा.

(३) बटाईदार की मृत्यु होने पर अनुबंध में उल्लेखित अधिकार उसके विधिक उत्तराधिकारी को प्राप्त होंगे:

परन्तु कोई उत्तराधिकारी ऐसे अधिकार प्राप्त करने से इंकार कर सकेगा.

९. (१) भूमिस्वामी एवं बटाईदार के बीच अनुबंध की शर्तों के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में तहसीलदार, विहित प्रक्रिया अनुसार जांच कर, मामले का विनिश्चय कर सकेगा। **विवादों का निपटारा.**

(२) उपधारा (१) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी को होगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(४) किसी भी अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।

(५) उपधारा (२) एवं (३) में वर्णित अपील अथवा पुनरीक्षण, यथास्थिति, आदेश दिनांक से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(६) तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/संभागायुक्त उन्हें प्रस्तुत यथास्थिति आवेदन, अपील या पुनरीक्षण का निपटारा अधिकतम साठ दिवस में करेंगे।

(७) जहां किसी मामले में संभाग आयुक्त की राय है कि यथास्थिति, तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी ने, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के साठ दिवस के भीतर मामले का निराकरण नहीं किया है तो वह यथास्थिति तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर, ऐसे प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए एक सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(८) भूमि स्वामी एवं बटाईदार के विवादों के लंबित रहने के दौरान राजस्व न्यायालय, पक्षकारों को अनुबंध की शर्तों के पालन हेतु ऐसा यथोचित अंतरिम आदेश, जो वह युक्तियुक्त समझे, दे सकेगा:

परन्तु वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे कि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् भी बटाईदार का भूमि पर कब्जा बना रहे।

(९) यदि कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है तो अनुबंध अवधि के अवसान पर स्थगन आदेश स्वतः समाप्त हो जावेगा तथा भूमि स्वामी को अनिवार्यतः कब्जा दिलाया जावेगा।

१०. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन या अनुबंध के भंग होने से व्यथित पक्षकार का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वितीय पक्षकार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा करेगा कि वह तत्काल अनुबंध का उल्लंघन बंद कर अनुबंध का पालन करे एवं स्वयं उपस्थित होकर इस आशय का पालन प्रतिवेदन पेश करे अन्यथा कारण बताए कि क्यों न उसे दस हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अधिकतम जुर्माने से दण्डित किया जाए. सूचना पत्र का उत्तर, शपथ पत्र पर साक्ष्य एवं उभयपक्ष को सुनने के पश्चात्, तहसीलदार अनुबंध का पालन कराने हेतु समुचित आदेश दे सकेगा तथा आदेश का पालन सुनिश्चित होने पर प्रकरण समाप्त हो जावेगा: **अनुबंध का भंग**

परन्तु यदि तहसीलदार का यह समाधान हो जाता है कि अनुबंध का पालन कराया जाना संभव नहीं है तो अनुबंध को समाप्त करेगा, उभयपक्ष के दावों का निर्धारण करेगा तथा अनुबंध भंग के लिए उत्तरदायी पक्षकार को दस हजार रुपये तक प्रति हैक्टेयर के मान से जुर्माने से दण्डित कर सकेगा, जो भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगा।

११. (१) अनुबंध अवधि के अवसान पर या समाप्ति होने पर यदि बटाईदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुबंधाधीन भूमि का कब्जा नहीं छोड़ता है तो भूमिस्वामी द्वारा आवेदन देने पर तहसीलदार, बटाईदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा करेगा कि वह भूमि का कब्जा भूमि स्वामी को सौंपकर स्वयं उपस्थित होकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा कारण बताए कि उसे रुपये दस हजार प्रति हैक्टेयर तक का जुर्माना अथवा तीन मास तक की कालावधि के लिए सिविल कारागार अथवा दोनों से दण्डित क्यों न किया जाए। **भूमिस्वामी का पुनःस्थापन.**

(२) यदि बटाईदार कारण बताओ नोटिस तामील होने के पश्चात् भी, खाली कब्जा नहीं सौंपता है और उसके बारे में रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं करता है तो वह उसे उपधारा (१) में विहित किए गए अनुसार निरुद्ध करेगा तथा दण्डित करेगा तथा युक्तियुक्त बल के प्रयोग द्वारा भूमि स्वामी का आवेदन प्राप्त होने के तीस दिवस के भीतर भूमि पर वास्तविक कब्जा सुनिश्चित कराएगा तथा जुर्माने की राशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी:

परन्तु यदि तहसीलदार का यह समाधान हो जाता है कि भूमि स्वामी का भूमि पर निर्विघ्न आधिपत्य हो गया है तो वह बटाईदार को सिविल कारागार से निर्मुक्त किए जाने का आदेश दे सकेगा.

आपसी सहमति से अनुबंध की समाप्ति.

१२. भूमिस्वामी एवं बटाईदार आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि के अवसान के पूर्व भी अनुबंध समाप्त कर सकेंगे तथा उसे तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकेंगे.

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.

१३. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

(२) भूमि स्वामी एवं बटाईदार अनुबंध में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कथन करने से विबंधित होंगे.

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध को बटाईदार अनुबंधाधीन भूमि पर स्वत्व, कब्जा या अन्यथा कोई अधिकार प्राप्त करने के लिये किसी प्राधिकारी या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, न ही कोई वाद, आवेदन या याचिका लगा सकेगा, न ही कोई लाभ प्राप्त कर सकेगा.

राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता.

१४. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अनुबंधाधीन भूमि के संबंध में भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य विवादों का विनिश्चय करने की राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता होगी तथा सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित होगा.

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण.

१५. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कर्तव्य निर्वहन हेतु सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कृत्य के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

१६. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन होंगे.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाईयों का दूर किया जाना.

१७. (१) यदि इस अधिनियम के प्रभावशील होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों को किसी क्षेत्र में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो कि उस कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों.

(२) उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश की एक प्रतिलिपि, उसके पारित किए जाने के पश्चात्, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

प्ररूप—क

[धारा २ (क) एवं धारा ४ देखें]

अनुबंध

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

यह अनुबंध आज दिनांक माह वर्ष को प्रथम पक्ष श्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु निवासी जिसे इसमें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी तथा समनुदेशिती सम्मिलित हैं) और द्वितीय पक्ष श्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु निवासी जिसे इसमें इसके पश्चात् बटाईदार कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी सम्मिलित हैं), के बीच निष्पादित किया गया.

२. अनुबंधाधीन भूमि का विवरण खसरा नम्बर रकबा कुल रकबा ग्राम पटवारी हल्का तहसील जिला

३. अनुबंध की अवधि-दिनांक से दिनांक तक होगी.

४. अनुबंध अनुसार प्रतिफल—

(क) बटाईदार द्वारा भूमिस्वामी को प्रतिवर्ष राशि देय होने पर इस अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिये एक वर्ष के लिये निर्धारित देय राशि रु. (अंकों में) (शब्दों में)

(ख) अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिये एक वर्ष के लिये फसल का हिस्सा देय होने पर फसल का नाम एवं फसलवार भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख करें

(ग) यदि खाद, बीज, सिंचाई या अन्य किसी भी व्यय में भूमिस्वामी एवं बटाईदार के बीच होने वाले खर्च उठाने के संबंध में कोई शर्त तय हुई है तो उसका विवरण:—

(घ) (एक) प्रतिवर्ष राशि या फसल का हिस्सा देने की अंतिम तिथियां

(दो) प्रतिवर्ष राशि प्रतिशत की वृद्धि होगी,

(तीन) प्रतिवर्ष फसल के हिस्से में होने वाली वृद्धि का विवरण

५. (१) बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले सुधार कार्यों एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख

(२) सुधार कार्य के विषय में यदि उल्लेख नहीं है तो निर्मित संरचना भूमिस्वामी के स्वामित्व की हो जाएगी.

६. बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले आनुषंगिक कार्यों एवं शर्तों का स्पष्ट उल्लेख

७. प्राकृतिक आपदा या अन्यथा फसल हानि की स्थिति में देय सहायता प्रतिशत बटाईदार तथा प्रतिशत भूमिस्वामी को प्राप्त करने का अधिकार होगा.

८. भूमिस्वामी यह स्वीकार करता है और वचन देता है कि वह अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा तथा बटाईदार के कब्जा दखल तथा कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यवधान नहीं डालेगा.

९. बटाईदार यह स्वीकार करता है तथा वचन देता है कि वह—

- (१) अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा तथा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दिनांक के पूर्व भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा.
- (२) अनुबंध या अनुबंध अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बटाईदार भूमिस्वामी को कब्जा वापस सौंप देगा.
- (३) वह अनुबंधाधीन भूमि पर हक, कब्जा का अधिकार या अन्य कोई भी अधिकार प्राप्त करने के लिये अनुबंध को किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी भी न्यायालय में कोई वाद, आवेदन, याचिका नहीं लगाएगा. यदि ऐसा करने का कोई अधिकार उसे किसी विधि में प्राप्त हो तो भी वह ऐसे अधिकार का त्याग करता है.

१०. अनुबंध अवधि या अनुबंध समाप्त होने पर, भूमि विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी को स्वतः प्रतिवर्तित हो जाएगी तथा बटाईदार भूमि से बेदखल हो जावेगा एवं भूमिस्वामी का भूमि पर कब्जा हो जावेगा. इस हेतु किसी कार्रवाई या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी.

११. अनुबंध अवधि या अनुबंध की समाप्ति पर बटाईदार भूमि से कब्जा नहीं छोड़ता है तो तहसीलदार अधिनियम की धारा ११ के अधीन भूमिस्वामी का कब्जा पुनः स्थापित कराएगा तथा उस पर जुर्माना या सिविल जेल या दोनों का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा.

१२. भूमिस्वामी एवं बटाईदार दोनों यह अंगीकार करते हैं कि यदि वह अनुबंध का पालन नहीं करता है तो अधिनियम की धारा १० के अधीन तहसीलदार द्वारा जुर्माने से जो दस हजार रुपए प्रति हैक्टेयर तक का हो सकेगा, दण्डित किया जावेगा तथा अनुबंध का बलपूर्वक पालन कराया जावेगा.

आज दिनांकको स्थान पर पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के सोच समझकर कण्डिका १ लगायत १२ यह अनुबंध सादे कागज पर हम पक्षकारों पक्षकार क्रमांक १ अनुबंधकर्ता भूमिस्वामी एवं पक्षकार क्रमांक २ अनुबंधग्रहीता बटाईदार ने दो साक्षियों के समक्ष सभी की पासपोर्ट साईज फोटो तथा मान्य पहचान-पत्र की प्रति इस अनुबंध पर चस्पा कर तीन प्रतियों में प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर एवं अंगूठा चिन्ह अंकित कराकर निष्पादित कर दिया है. अनुबंध की एक-एक प्रति प्रत्येक पक्षकार के पास सुरक्षित रखी जायेगी.

हस्ताक्षर

साक्षी क्रमांक—१

साक्षी क्रमांक—२

हस्ताक्षर

पक्षकार क्रमांक—१

पक्षकार क्रमांक—२

अंगूठा चिन्ह

पक्षकार क्रमांक—१

पक्षकार क्रमांक—२

टीप—1. अनुबंध पर उभय पक्षकारों के पासपोर्ट साईट फोटो चस्पा किए जाएं.

2. अनुबंध के साथ उभय पक्षों के वैद्य पहचान-पत्र संलग्न किए जाएं.

3. अनुबंध-पत्र तीन प्रतियों में तैयार किए जाएं.

4. प्रत्येक पक्षकार अनुबंध की एक प्रति अपने पास रखें.

5. उभय पक्ष अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे.

6. हस्ताक्षर के साथ अंगुष्ठ चिन्ह भी लगाना अनिवार्य है.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2018

क्र. 7949-136-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2018

THE MADHYA PRADESH BHUMISWAMI EVAM BATAIDAR KE HITON KA
SANRAKSHAN ADHINIYAM, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and Commencement
2. Definitions
3. Batai
4. Execution of agreement of Batai
5. Protection of rights of Bhumiswami
6. Protection of rights of Bataidar
7. Right of relief in natural calamity
8. Devolution in case of transfer or death
9. Disposal of disputes
10. Breach of agreement
11. Reinstatement of Bhumiswami
12. Termination of agreement by mutual consent
13. Overriding effect of the Act
14. Exclusive Jurisdiction of Revenue Authorities
15. Protection of Action taken in good faith under this Act
16. Power to make rules
17. Power to remove difficulties

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 13 OF 2018
THE MADHYA PRADESH BHUMISWAMI EVAM BATAIDAR KE HITON KA
SANRAKSHAN ADHINIYAM, 2016**

[Received the assent of the Governor on the 30th April, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th May, 2018.]

An Act to protect the rights of Bhumiswami and Bataidar on giving the agricultural land on Batai and for maximum, effective and beneficial utilization of land resources.

Be it enacted by the Madhya Pradesh legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

**Short title,
extent and
commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Bhumiswami evam Bataidar ke Hiton ka Sanrakshan Adhiniyam, 2016.

(2) It extends to whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Agreement' means an agreement, between Bhumiswami and Bataidar for the purpose of agriculture and other allied works on the land of Bhumiswami executed as far as possible in prescribed form-A:

Provided that this agreement shall not be admissible as a lease or any other instrument;

(b) 'Batai' means agriculture by giving money or share of crop to Bhumiswami as per the agreement executed between the Bhumiswami and Bataidar under this Act.

(c) 'Bataidar' means a person doing agriculture by giving money or share of crop to Bhumiswami in accordance with the agreement executed under this Act;

(d) 'Bhumiswami' means a Bhumiswami mentioned in section 158 of the Code;

(e) Code means The Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(f) 'Improvement' means improvement mentioned in clause (J) of sub section (1) of section 2 of the Code and it shall also include the works to be done by mutual consent of Bhumiswami and Bataidar as mentioned in the agreement executed between them;

(g) 'Work allied to agriculture' means any work to be performed along with agriculture such as construction of structure for rearing of livestock, storage of agricultural produce equipments, fertilizer, seed and agricultural produce which the Bhumiswami and Bataidar decide to do in the agreement executed in prescribed form-A.

(2) The words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning as assigned to them in the Code.

Batai.

3. (1) The Bhumiswami may entrust his agricultural land on Batai by executing an agreement in form-A;

(2) A Bhumiswami belonging to an aboriginal tribe under clause (i) of sub section (6) of section 165 of the Code may entrust his agricultural land situated in the notified area on Batai only to a member belonging to an aboriginal tribe of a notified area.

(3) A Bhumiswami belonging to an aboriginal tribe in the areas other than the areas specified in clause (i) of sub section (6) of section 165 of the Code, may entrust his agricultural land on Batai to a person not belonging to such aboriginal tribe subject to such permission of the collector, that shall be given with reasons to be recorded in writing.

4. (1) An agreement between the Bhumiswami and Bataidar shall be executed on plain paper in triplicate in form-A.

Execution of agreement of Batai.

(2) One copy of the agreement shall be kept by both the parties and one copy may be produced to the Tehsildar:

Provided that no entry in revenue record shall be made on the basis of such agreement.

(3) The term of agreement may be a maximum five years and the parties may renew the agreement.

(4) In the cases of Batai agreement of more than one year, the consideration for ensuing years may be determined in the ascending order and details thereof shall be mentioned in the agreement by mutual consent.

(5) Subject to the conditions mentioned in the agreement, the Bataidar shall have right to agriculture, improvement and works allied to agriculture.

5. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the Bataidar shall have no right to create charge of any kind on the land under agreement in addition to the rights mentioned in the agreement.

Protection of rights of Bhumiswami.

(2) On expiry of the specified period of agreement or on breach of agreement, the land shall be automatically reverted to the Bhumiswami and the Bataidar shall be deemed dispossessed and the Bhumiswami shall be deemed in possession of land. No separate action or order shall be required in this regard.

6. (1) During the term of agreement the Bhumiswami shall not create any hindrance in the works being done by Bataidar as per the agreement.

Protection of rights of Bataidar.

(2) On non-compliance of the conditions of agreement by Bhumiswami, the Bataidar shall have the right to take equitable action according to this Act.

7. In case of damage of crop due to natural calamity or otherwise, the right to receive the relief to be given by State Government and amount of claims by Insurance Company shall be in accordance with the agreement executed between Bhumiswami and Bataidar.

Right of relief in natural calamity.

8. (1) The right derived to Bataidar on the basis of agreement shall not be transferable.

Devolution in case of transfer or death.

(2) In case of transfer of title during the period of Batai agreement, the persons getting title of the land shall be deemed substituted as Bhumiswami and he shall be bound to follow the agreement.

(3) On the death of Bataidar, the rights mentioned in the agreement shall be passed on to his legal heirs:

Provided that an heir may refuse to earn such right.

9. (1) In case of any dispute arising between Bhumiswami and Bataidar, the Tehsildar may decide the case after inquiring as per the procedure prescribed.

Disposal of disputes.

(2) An appeal shall lie from the order passed by Tehsildar to Sub-Divisional Officer under sub section (1).

(3) Application for Revision against the order of Sub-Divisional Officer under sub section (2) shall made to the Divisional Commissioner whose decision thereon shall be final.

(4) No application for revision shall be entertained against any interlocutory order.

(5) Appeal or revision mentioned in sub section (2) and (3), as the case may be shall be file within Thirty days from the date of the order.

(6) Tehsildar, Sub-Divisional Officer, Divisional Commissioner shall dispose the application, appeal or revision, as the case may be, filed before him, in maximum sixty days.

(7) Where in any matter the Divisional Commissioner is of the opinion that the Tehsildar or Sub-Divisional Officer as the case may be, has not disposed the case within sixty days without any reasonable cause, then he may, after giving a proper opportunity of being heard to Tehsildar or Sub-Divisional Officer, as the case may be, impose a penalty of rupees one hundred for each of delay day, however the total amount of such penalty shall not exceed five thousand rupees.

(8) During the pendency of dispute of Bhumiswami and Bataidar, Revenue court may give such interim order for compliance of the conditions of agreement as it deems appropriate:

Provided that it shall not pass any such order, so that the Bataidar shall remain in possession of Land even after the termination of agreement.

(9) If any stay order is passed then on the expiry of the term of agreement the stay order shall cease automatically and the Bhumiswami shall be given possession compulsorily.

Breach of agreement.

10. On receiving an application of the party aggrieved by non compliance or violation of any condition of agreement or breach of agreement, the Tehsildar, by issuing show cause notice require the other party, to immediately stop such violation or breach and comply the agreement and personally furnish a compliance report of this effect otherwise show cause as to why he should not be punished with a fine of maximum ten thousand rupees per hectare. After considering the reply of show cause notice, evidence on affidavit and hearing both the parties, the Tehsildar may pass appropriate order for compliance of agreement and the case shall be disposed of after ascertaining the compliance of the order:

Provided that if the Tehsildar is satisfied that the compliance of the agreement is not possible, then he shall terminate the agreement and determine the claims of both the parties and may punish the party responsible for breach of agreement with fine at the rate of rupees ten thousand per hectare which shall be recoverable as an arrear of land revenue.

Reinstatement of Bhumiswami.

11. (1) On expiry of term, or termination of agreement if the Bataidar does not vacate the possession of land under agreement, directly or indirectly, then on the application of Bhumiswami, the Tehsildar by issuing a show cause notice to Bataidar, shall require that he after handing over the possession of the land to Bhumiswami shall personally furnish a compliance report and show cause as to why he should not be punished with a fine which may extent to rupees ten thousand per hectare or civil imprisonment for a period which may extent to three months or with both.

(2) If even after service of show cause notice, the Bataidar does not handover the vacant possession and furnish the report of the same to the Tehsildar and he shall get him confined and punish him as provided in sub section (1) and within thirty days from the date of receipt of application from the Bhumiswami, secure actual possession of land by using reasonable force and the amount of fine shall be recoverable as an arrear of land revenue:

Provided that if the Tehsildar being satisfied that the Bhumiswami has smoothly received the possession of land then he may pass an order to release the Bataidar from civil imprisonment.

12. The Bhumiswami and Bataidar may terminate the agreement even before the expiry of term of agreement with mutual consent and may furnish the same to the Tehsildar. **Termination of agreement by mutual consent.**
13. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Law for the time being in force, this Act shall have an overriding effect. **Overriding effect of the Act.**
- (2) The Bhumiswami and Bataidar shall be estopped regarding the facts as mentioned in the agreement.
- (3) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Law for the time being in force, the Bataidar may neither present the agreement executed under this Act before any Authority or court to get title, possession or any right otherwise on the Land under agreement, nor file any suit, application or petition nor may get any benefits.
14. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Law for the time being in force, the Revenue Authorities shall have exclusive jurisdiction to decide the case between Bhumiswami and Bataidar with reference to land under agreement under this Act and the Jurisdiction of civil court shall be barred. **Exclusive Jurisdiction of Revenue Authorities.**
15. No suit, prosecution or legal proceeding shall lie before any court or authority against any public servant for anything done or intended to be done in good faith in performance of duty in pursuance to this Act or the rules made there under. **Protection of Action taken in good faith under this Act.**
16. (1) The state government may make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act. **Power to make rules.**
- (2) All rules made under this Act shall be subject to pre publication.
- (3) All rules made under this Act shall be laid on the table of legislative Assembly.
17. (1) If any difficulty arises in giving effect in any reason to the provisions of this Act, within the period of two years from the date of commencement of this Act, the State Government may by order notified in Gazette make such provisions or give such directions as appear to it to be necessary for the removal of the difficulty. **Power to Remove difficulties.**
- (2) A copy of the order passed under sub section (1) shall as soon as may be after it is passed be laid on the table of Legislative Assembly.

FORM-A

[See Section 2 (a) and Section 4]

AGREEMENT

THE MADHYA PRADESH BHUMISWAMI EVAM BATAIDAR KE HITON KA SANRAKSHAN VIDHEYAK, 2016

This agreement is made on the day..... month year between Shri..... S/D/W/O. Shri..... aged..... years, R/o..... (who herein after called as Bhumiswami) (under which their successors and assignees are also included) on the one part and Shri..... S/D/W/Oaged..... years, R/o..... (who herein after called as Bataidar) on the other (under which their successors are also included).

2. Description of land under agreement, Khasra No..... area..... Total area village Patwari halka ... Tehsil.....District.

3. The term of agreement shall be from dated.....upto.....

4. Consideration according to agreement —

- (a) On the amount being payable per year from Bataidar to Bhumiswami, the determined amount payable for one year for the total land to be given on Batai in this agreement
Rs.....(in figures).....(in words).
- (b) For the total land being given on Batai in agreement, the share of the crop being payable for one year, clearly mention the name of the crop and crop wise share of Bhumiswami and Bataidar.....
- (c) Description of the condition if any regarding bearing the expenses being incurred in fertilizer, seed, irrigation or any other expenses determined between the Bhumiswami and Bataidar:.....
- (d) (i) Last dates for giving amount or share of the crop every year.....
(ii) There shall be increase of.....percent amount every year.
(iii) Description of the increase in the share of crop every year.....
5. (1) Mention the improvement works that may be carried out by the Bataidar and conditions relating thereto
- (2) If nothing is mentioned about the improvement work then the constructed structure shall become Bhumiswami's ownership.
6. Clearly mention the allied works that may be done by Bataidar and conditions thereof
7. In case of damage to crop due to natural calamity or otherwise,percent will be given to Bataidar andpercent to Bhumiswami from the relief paid.
8. Bhumiswami undertakes and affirms that he shall not violate the agreement and shall not create any hindrance directly or indirectly in the possession and agricultural work of Bataidar.
9. Bataidar undertakes and affirms that he—
- (1) Shall not violate the agreement and shall pay the consideration to Bhumiswami before the date fixed as per the agreement and shall obtain a receipt thereof.
- (2) Shall return the possession forthwith to Bhumiswami on the declaration of termination of agreement or on the expiry of the term of agreement.
- (3) Shall neither file the agreement before any authority or court to get title, right of possession or any other right, nor shall file any suit application, petition in any Court. If Bataidar has any right to do so then he relinquishes such right.
10. On expiry of the term of agreement or on the termination of the agreement, the land shall itself be reverted to the Bhumiswami and the Bataidar shall be deemed to be dispossessed from the land and Bhumiswami shall be deemed to be regained possession of the land. No action or order shall be required for such purpose.
11. On expiry of agreement or on the declaration of termination of agreement if Bataidar does not vacate the possession of the land then the Tehsildar, under section 11 of the Act, shall reinstate the possession of Bhumiswami and many impose upon him the punishment of penalty or civil Jail or both.
12. Bhumiswami and Bataidar both undertakes that if they do not comply with the agreement, then they shall be punished with the penalty of Rupees Ten thousand per hectare by the Tehsildar and shall be forcefully compelled to comply with the agreement.

In witness whereof we party No. 1 Bhumiswami and party no. 2 Bataidar executed this agreement Para 1 to Para 12 thoughtfully, in full consciousness, without any pressure and by signing and putting one thumb impression

on plain paper before two witnesses, by affixing passport size photographs with valid identification card. One copy of the agreement shall be kept safe with each party.

Signature
Witness No.1
Witness No. 2

Signature
Party No.1
Party No.2

Thumb impression
Party No.1
Party No.2

-
- Note –**
1. Passport size photograph of both the parties should be affixed on the agreement.
 2. Valid identity card of both the parties should be annexed with agreement.
 3. Agreement should be prepared in triplicate.
 4. Each party should keep a copy of agreement with them.
 5. Both parties shall put their signature on each page of the agreement.
 6. Along with signature thumb impression is also compulsory.